



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-06052026-272244
CG-UP-E-06052026-272244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2113]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2113]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 4 मई, 2026

का.आ. 2200(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधित) अधिनियम, 2008 (अधिनियम सं० 11 वर्ष 2008) के खंड (2) की धारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों एवं स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में औरिहार – वाराणसी सिटी के मध्य तीसरी रेल लाइन (31.36 किमी०) विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क०सं०	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
2.	मुख्य राजस्व अधिकारी	गाज़ीपुर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/Con/247/3rdLine/ARJ-BCY/LA/CALA]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 4th May, 2026

S.O. 2200(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act 2008 (Act No. 11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of "3rd Line between Aunrihar - Varanasi City (31.36 Km) Special Railway Project" in the districts mentioned in column (3) and in the states mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Special Land Acquisition Officer	Varanasi	Uttar Pradesh
2	Chief Revenue Officer	Ghazipur	Uttar Pradesh

[F. No. W/Con/247/3rdLine/ARJ-BCY/LA/CALA]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction